न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 20/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

प्रेमचन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र श्री बल्लूराम तमोली उम्र 47 वर्ष जाति तमोली–एफबीओ व मालिक–फर्म रावत किराना स्टोर पंचायत समिति के पास बयाना जिला भरतपुर निवासी आदर्श नगर सेक्टर 2, बयाना जिला भरतपुर।
2. विष्णु कुमार गर्ग पुत्र श्री हरीशचन्द्र गर्ग जाति वैश्य–एफबीओ व मालिक–फर्म–विष्णु मसाला उद्योग, प्लाट नं0 एच–1–139, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, बयाना जिला भरतपुर निवासी महादेव बस्ती रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011

उपस्थितः–

1. श्री संजय कुमार शर्मा वकील गैरसायल संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 20.12.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ. एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायलान दिनांक 21.03.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान मय वकील दिनांक 14.08.2019 को उपस्थिति हुये। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल

गैरसायलान को दी गई। नियत दिनांक 20.12.2019 को वकील गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.10.2017 को दोपहर 2.30 बजे गैरसायल संख्या 1 की फर्म रावत किराना स्टोर, पंचायत समिति के पास, बयाना का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण रावत किराना स्टोर पर लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के 15 पैकिट का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के 04 पैकिट 280/—रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस—1020/एक्ट/2017/1041 दिनांक 03.11.2017 द्वारा उक्त लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायलान ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में उक्त खाद्य वस्तु मात्र मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया है। जिसे गैरसायलान स्वीकार करते है। जिसका भी हमने सुधार कर लिया गया है। गैरसायलान छोटे स्तर का व्यापारी है। गैरसायल संख्या 1 गैरसायल संख्या 2 से लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) क्रय करके बेचता चला आ रहा है। गैरसायलान की यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करते है। भविष्य में गैरसायलान अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायलान की प्रथम गलती है। अतः गैरसायलान के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैरसायलान के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 10.10.2017 को गैरसायलान की फर्म रावत किराना स्टोर से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 में मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) का पाया गया है। गैरसायल संख्या 1 गैरसायल संख्या 2 से लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) को

खरीद कर विक्रय काफी समय से करते चले आ रहे है। गैरसायलान के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल संख्या 1 के व्यापार परिसर पर लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के 15 पैकिट ही वक्त जांच संग्रहित पाये गये है। गैरसायल संख्या 1 छोटे स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के 15 पैकिट ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाये गये है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 4 पैकिट लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) 280/– रूपये में क्रय किये गये है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित लाल मिर्च पाउण्डर (झंकार ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के 15 पैकिट की कीमत मात्र 1050/– रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायलान छोटे स्तर के व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायलान के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल संख्या 1 भगवान सिंह पुत्र श्री बल्लूराम तमोली पर 5000/– रूपये (पांच हजार रूपये) एवं गैरसायल संख्या 2 विष्णु कुमार गर्ग पुत्र श्री हरीशचन्द गर्ग पर 5000/– रूपये (पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 20.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी **एवं**
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर